FOR, U.G. PART-III (HONS.)
PAPER- VI

Page No.:
Date:

Emergence of Muslim League in Indian Politics - (PART-2)

ix. सिंध को बम्बई से अलग करके स्वतंत्र प्रांत बना दिया जाये।
x. सुधारों के मामलों में उत्तर-पश्चिमी सीमा क्षेत्र तथा बलूचिस्तान के साथ कोई भेदभाव नहीं किया जाना चाहिए
xi. मुस्लिम संस्कृति, भाषा, शिक्षा, कानून तथा धार्मिक संस्थाओं की सुरक्षा के लिए समुचित उपाये किये जाने चाहिए
xii. प्रशासन की कार्यकुशलता को ध्यान में रखते हुये मुसलमानों को सरकारी नौकरियों में उचित प्रतिनिधित्व दिया जाना चाहिए
xiii. केन्द्रीय तथा प्रांतीय मंत्री-परिषदों में 1/3 मंत्री मुस्लिम समुदाय से लिया जाना चाहिए
xiv. भारतीय संघ के इकाईयों की सहमति बिना केन्द्रीय विधानमंडल द्वारा संविधान में कोई परिवर्तन न किया जाए।

1930 के सविनय अवज्ञा आंदोलन में कॉंग्रेस को लीग का सहयोग नहीं मिला। इसी दौरान Dec. 1930 के अपने इलाहाबाद अधिवेशन में लीग ने कॉंग्रेस के कार्यक्रमों की खुलकर आलोचना करते हुये उसे हिन्दुओं की पार्टी करार दी। लगभग इसी समय इंग्लैंड में 'रहमत अली' नामक विद्यार्थी ने भारत में मुसलमानों के लिए एक पृथक संघ "पाकिस्तान" बनाने की बात कही।

पृथक्कतावाद ने अपनी जड़ें काफी फैला ली थी। मुस्लिम लीग के अड़ियल रवैये की वजह से गोलमेज कान्फ्रेंस में भी किसी प्रकार का समझौता नहीं हो सका। 1932 के साम्प्रदायिक निर्णय (Communal Award) ने हिन्दू और मुसलमानों के बीच खाई को और चौड़ा कर दिया।

1930 के बाद मुस्लिम बुद्धिजीवी वर्ग का एक गुट भारत में स्वतंत्र मुस्लिम राज्य की स्थापना की कल्पना करने लगा। 1930 में प्रसिद्ध उर्दू शायर तथा दार्शनिक मो० इकबाल ने मुस्लिम लीग की इलाहाबाद अधिवेशन की अध्यक्षता करते हुए कहा - मेरी इच्छा है कि पंजाब, उत्तर पश्चिमी सीमाप्रांत, सिन्ध तथा बलूचिस्तान को मिलाकर एक राज्य बना दिया जाये। ब्रिटिश साम्राज्य के अन्तर्गत अथवा इसके बिना उ० पश्चिमी भारतीय मुस्लिम राज्य का निर्माण ही इनकी नियति है। इकबाल ने भारत के अन्दर एक मुस्लिम राज्य की माँग उठाई।

अलग मुस्लिम राज्य जिसे 'पाकिस्तान' कहा जाए, का विचार गोलमेज कान्फ्रेंस के समय कैम्ब्रिज का विद्यार्थी 'रहमत अली' के नेतृत्व में कुछ मुस्लिम विद्यार्थियों ने दिया था। रहमत अली ने कान्फ्रेंस में मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल के सामने पंजाब, उत्तर पश्चिमी प्रांत (जिसे अफगान प्रांत भी कहा जा सकता है) कश्मीर, सिंध, बलोचिस्तान को मिलाकर मुसलमानों का पृथक स्वदेश (Seperate Homeland) की योजना प्रस्तुत की। इस नये मुस्लिम राज्य को उसने 'पाकिस्तान' की संज्ञा दी। पाकिस्तान शब्द इसमें से प्रथम चार प्रांतों के प्रथम और पाँचवें का अंतिम अक्षर लेकर बनाया गया। रहमत अली का विचार था हिन्दू और मुसलमान मूलतः पृथक राष्ट्र तथा जातियां हैं। उसके प्रस्ताव को मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल ने खास महत्व नहीं दिया।

1937 के प्रांतीय चुनाव के बाद उभरे राजनीतिक वातावरण में साम्प्रदायिकता ने विकराल रूप धारण करना शुरू कर दिया। इन चुनावों में कांग्रेस को भारी सफलता मिली किंतु लीग को विशेष सफलता नहीं मिली। कांग्रेस 11 में से 6 प्रांतों में बहुमत में थी। कांग्रेस ने बम्बई, मद्रास, यू.पी., बिहार, उड़ीसा, मध्य प्रांत में पूर्ण बहुमत प्राप्त किया और उत्तर पश्चिमी सीमा प्रांत में सबसे बड़े दल के रूप में सामने आई। इसी दौरान संयुक्त प्रांत में मंत्रिमंडल निर्माण संबंधी जो विवाद हुआ उसका मुस्लिम लीग की लोकप्रियता बढ़ाने में महत्वपूर्ण योगदान है। चुनाव पूर्व प्रकाशित घोषणा पत्रों में लीग एवं कांग्रेस के दृष्टिकोण में पर्याप्त समानता थी। ऐसी उम्मीद थी कि चुनाव पश्चात संयुक्त प्रांत के मंत्रिमंडल में मुस्लिम लीग के दो सदस्य सम्मिलित किये जायेंगे। जुलाई 1937 में कांग्रेस दल को मंत्रिमंडल बनाने का अवसर मिला तो मौलाना आजाद ने संयुक्त प्रांत के मुस्लिम लीग के अध्यक्ष चौ० खलीकुज्जमा को कुछ शर्तों के साथ मंत्रिमंडल में शामिल होने का निमंत्रण दिया। इन शर्तों में मुस्लिम लीग को एक दल के रूप में समाप्त करने उसके सदस्यों को कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाने, मुस्लिम लीग पार्लियामेंटरी पार्टी को समाप्त किये जाने और कांग्रेस द्वारा भविष्य में त्यागपत्र दिये जाने की स्थिति में लीग के सदस्यों द्वारा भी वैसा किये जाने के शर्तें शामिल थी। इसे मुस्लिम लीग द्वारा मुस्लिम लीग के अस्तित्व के लिए अपने ही मृत्यु वारंट पर हस्ताक्षर करने के समान था। यही कारण है कि जिन्ना और खलीकुज्जमा ने इन शर्तों को अस्वीकार कर दिया। कई इतिहासकारों

ने कांग्रेस के इस कदम को भारतीय विभाजन का निर्णायक बिन्दु माना है। जिन्ना ने कांग्रेस के इस सुझाव को मुस्लिम लीग के विरुद्ध सबसे बड़ी चाल बताया। उसने कांग्रेस के विरुद्ध प्रत्येक प्रकार के आरोप लगाए और कांग्रेस को हिन्दुओं की संस्था बताया जो अल्पसंख्यकों को दबाना चाहती है। जब 1939 में द्वितीय विश्वयुद्ध में भारत को बिना उसकी सहमति के शामिल करने के मुद्दे को लेकर कांग्रेस की प्रांतीय सरकारों ने इस्तीफा दिया तो मुस्लिम लीग ने 22 Dec. 1939 को "मुक्ति दिवस" मनाया।

23 March 1940 को जिन्ना के सभापतित्व में लाहौर में मुस्लिम लीग ने सरकार के समक्ष पाकिस्तान की मांग विधिवत रूप से पेश कर दी। यहाँ लीग द्वारा पहली बार पाकिस्तान शब्द का प्रयोग किया गया। अब तक मुस्लिम लीग एवं जिन्ना का 'द्विराष्ट्र सिद्धांत' की अवधारणा पूर्णतः स्पष्ट हो चुकी थी। इसके अनुसार हिन्दू एवं मुसलमान दो भिन्न राष्ट्र हैं एवं कांग्रेस केवल हिन्दुओं का प्रतिनिधित्व करती है अतः केवल मुस्लिम लीग ही मुसलमानों का प्रतिनिधित्व का अधिकार रखती है।

'द्विराष्ट्र सिद्धांत' सैद्धांतिक एवं व्यावहारिक दोनों ही दृष्टिकोण से नितांत त्रुटिपूर्ण था। राष्ट्रीयता के स्थान पर इसने धर्म को विभाजन का आधार बनाया। लेकिन ब्रिटिश सरकार ने जानबूझकर पाकिस्तान आंदोलन को हवा देनी शुरू की। 1940 में लॉर्ड लिनलिथगो ने "अगस्त घोषणा" के द्वारा मुसलमानों को यह आश्वासन दिया कि ब्रिटेन एवं भारत के बीच किसी भी समझौते की स्थिति में अल्पसंख्यकों की सुरक्षा को ध्यान में रखा जायेगा।

यद्यपि 1942 के क्रिप्स प्रस्तावों को मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया था लेकिन इसमें भी पृथक्करण शक्तियों को बढ़ावा दिया गया था। इसमें किसी भी प्रांत को भावी संघीय संविधान को अस्वीकार करने एवं अपना अलग संविधान बनाने की शक्ति थी। 1945 के वेवेल योजना में अनावश्यक रूप से मुस्लिम लीग को कांग्रेस के समतुल्य माना गया। यह कहा गया कि गवर्नर-जनरल की कार्यकारिणी परिषद में प्रधान सेनापति को छोड़कर शेष भारतीय होंगे तथा उनमें आधे मुस्लिम तथा आधे हिन्दू होंगे।

1946 के कैबिनेट मिशन द्वारा पाकिस्तान की माँग स्पष्ट न मानने के कारण मुस्लिम लीग ने अस्वीकार कर दिया

इसके बावजूद कैबिनेट मिशन के प्रस्तावों में पाकिस्तान की झलक अवश्य दीख रही थी। लीग ने अपनी पाकिस्तान की माँग को लेकर 16 अगस्त से 'सीधी कार्यवाही' की घोषणा कर दी। इससे साम्प्रदायिक उन्माद जबर्दस्त ढंग से फैल गया।

1946 की संविधान सभा के लिए हुये चुनावों में जहाँ काँग्रेस को 205 सीटें (सामान्य स्थान में) मिली, वहीं मुस्लिम लीग को केवल 73 स्थानों पर संतोष करना पड़ा किंतु लीग को लगभग 90% मुस्लिम सीटें मिली थी। काँग्रेस मुस्लिम जनसमूह को राष्ट्रीय आंदोलन में नहीं खींच पाई थी। इसी बीच रावलपिंडी, नोआखोली तथा बिहार के गाँवों में साम्प्रदायिक दंगे फूट पड़े। जून 1947 तक काँग्रेसी नेता महसूस करने लगे थे कि सत्ता के तुरंत हस्तांतरण से ही साम्प्रदायिक पागलपन को रोका जा सकता है।

निष्कर्षत: यह कहा जा सकता है कि लीग की नीति आरम्भ से ही काँग्रेस विरोधी रही। मुस्लिम लीग अंग्रेजों के 'फूट डालो एवं राज करो' की नीति को समझ न पाये और उनके ईशारों पर नाचते रहे। लीग ने अपने इन करतूतों से साम्प्रदायिकता को बढ़ावा दिया जो अंततः देश-विभाजन का कारण बना। काँग्रेस की गलती इस बात को लेकर है कि उसने साम्प्रदायिक शक्तियों से लड़ने की सही रणनीति नहीं अपनाई, उल्टे उसे तुष्ट करती रही ऐसे में फायदा अंग्रेजों को मिला तथा एक विशाल एवं जीवंत राष्ट्र के दो टुकड़े कर देने पड़े।

—— X ——